

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-54 / 13

संस्थित दिनांक- 26.02.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

नहार सिंह पुत्र रतन सिंह लोधी उम्र 33 साल,
निवासी ग्राम हलनपुर तहसील चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 10.04.17 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-379 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.01.2013 को हलनपुर स्टाम्प बस स्टेण्ड के पास रोड किनारे नगर पालिका द्वारा बिछाये गये पानी के पाईप की चोरी कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आलोक सिंह नगर पालिका चंदेरी में पम्प ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 20.01.2013 को फरियादी नगर वाटर सप्लाई पानी चैक करके गया तो एक पाईप कीमत करीब दस हजार रुपये का

कोई अज्ञात व्यक्ति उक्त पाईप को तोड़कर ले गया। फरियादी आलोक सिंह को इसकी जानकारी मिली कि नहार सिंह ग्राम हलनपुर पाईप तोड़ कर ले गया। क्योंकि नहार सिंह लोहा कबाडी का काम करता है, प्रार्थी को उक्त व्यक्ति पर शक था, फरियादी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कहे अनुसार दिनांक 21.01.2013 को पुलिस थाना चंदेरी में प्रदर्श पी 1 का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्त विरुद्ध अपराध क्रमांक 22/13 अंतर्गत धारा 379 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्श पी 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक—20.01.2013 को हलनपुर स्टाम्प बस स्टेण्ड के पास रोड किनारे नगर पालिका द्वारा बिछाये गये पानी के पाईप उनकी बिना सहमति के चोरी कर ले जाकर चोरी की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0—1) का कहना है कि वह जनवरी 2013 में पानी सप्लाई का कार्य नगर पालिका में देखता था, ग्राम टगारी से ग्राम नयाखेडा कि सीआई पाईप लाईन किसी व्यक्ति ने तोड़ दी थी, जिसके संबंध में उसने थाने पर फोन लगाया था और अपने स्टॉफ को भी जानकारी दी थी, इस साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थाने पर की थी, जिसमें उसने घटना कारित करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। इस साक्षी ने आवेदन प्रदर्श पी 1 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आवेदन प्रदर्श पी 1 फरियादी द्वारा हस्ताक्षरित कर पाईप लाईन चोरी होने के संबंध में थाने पर दिया गया था, इस संबंध में फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों को बचाव पक्ष के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई, जिससे फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0—1) की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि उसके द्वारा तगाडी गावं से ग्राम नयाखेडा के बीच की पाईप लाईन चोरी होने की घटना के संबंध में थाने पर प्रदर्श पी 1 का आवेदन दिया था।

08— फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0—1) ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया है कि वह अभियुक्त को जानता है तथा घटना कारित करने वाले व्यक्ति का नाम उसने पुलिस को बताया था, परन्तु इस साक्षी को उपरोक्त

बिन्दु पर पक्षविरोधी करने के पश्चात अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी 4 में यह लेख कराया था कि उसे जानकारी मिली है कि नहार सिंह नाम का व्यक्ति पाईप लाईन तोड़कर ले गया है। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे आज ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी 1 के आवेदन पर उसने नहार सिंह द्वारा पाईप तोड़ने वाली बात लिखाई थी या नहीं। अतः इस साक्षी के कथनों से स्पष्ट है कि चोरी गई पाईप लाईन के संबंध में उसने ही पुलिस को नहार सिंह का नाम बताया था, जिसका उल्लेख प्रदर्श पी 1 के आवेदन में भी है।

- 09— यहां यह उल्लेखनीय है कि आलोक सिंह (अ0सा0-1) चोरी की घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, जिसका उल्लेख प्रदर्श पी 1 के आवेदन में भी है। थाने पर दिये गये आवेदन प्रदर्श पी 1 में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पाईप लाईन तोड़कर ले जाने की घटना लेख है, जिसमें फरियादी द्वारा यह लेख भी किया गया है कि उसे जानकारी मिली है कि अभियुक्त ही पाईप तोड़कर ले गया है क्योंकि वह कबाड़े का काम करता है। फरियादी को किसी व्यक्ति ने जानकारी दी तथा उसे कहा से जानकारी प्राप्त हुई इसका उल्लेख आवेदन में तथा उसके पुलिस कथनों में नहीं है। मात्र किसी व्यक्ति के द्वारा कबाड़े का काम करने से उस व्यक्ति के चोर होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है, जब तक की यह साबित न कर दिया जाये कि उसी व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है।
- 10— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 5 मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 7 के साक्षी जग्गू (अ0सा0-2) व शहीद खां (अ0सा0-3) के कथन भी न्यायालय में कराये गये, इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त को पहचानने से ही इन्कार किया है। शहीद खां (अ0सा0-3) अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी ही होने से ही इन्कार करता है। जग्गू (अ0सा0-2) व शहीद खां (अ0सा0-3) जो कि नगर पालिकाकर्मी हैं, अपने-अपने न्यायालीन कथनों में प्रदर्श पी 5, 6 व 7 पर अपने अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करते हैं, परन्तु अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा कि गई जप्ती गिरफ्तारी एवं मैमोरेण्डम की कार्यवाही के समर्थन में इन साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये हैं। जग्गू (अ0सा0-2) जहां प्रदर्श पी 5, 6 व 7 थाने पर हस्ताक्षर करना बताता है वहीं शहीद खां (अ0सा0-3) बस स्टेण्ड पर उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना अपने न्यायालीन कथनों में बताता हैं। इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण अभियोजन द्वारा किया परन्तु इन साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा उनके समक्ष अभियुक्त गिरफ्तारी किया गया तथा अभियुक्त के द्वारा अनुसंधानकर्ता अधिकारी को प्रदर्श पी 6 का मैमोरेण्डम के कथन दिये गये इन दोनों ही साक्षियों ने जप्ती प्रदर्श पी 7 की कार्यवाही भी अपने सामने न होना बताया है तथा पुलिस को भी क्रमशः प्रदर्शपी 8 व 9 के कथन न देना बताया है।
- 11— जग्गू (अ0सा0-2) अपने न्यायालीन कथनों में यह अवश्य कहता है कि पुलिस ने लोहे की बीड जंगल से पकड़ी थी, परन्तु यह साक्षी अपने मुख्यपरीक्षण में 50 किलो बीड पुलिस द्वारा पकड़ना बताता है, वहीं पक्षविरोधी होने के बाद बीड 20 किलो होना बताता

है। जब कि प्रधान आरक्षक अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के अनुसार दो क्विंटल लोहे के पाईप जप्त किये थे जो कि इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में दिये गये कथन अनुसार 4 से 5 प्लास्टिक बोरी में थे। फरियादी के अनुसार पाईप लाइन की चोरी ग्राम नयाखेडा व ग्राम टगारी के बीच से हुई थी, परन्तु यह साक्षी बीड की चोरी हलनपुर से होना बताता है। अतः जग्गू (अ0सा0-2) अपने न्यायालीन कथनों में बीड चोरी होने के संबंध में कथन अवश्य दिये हैं, परन्तु बीड कितनी चोरी हुई थी तथा कहा से चोरी हुई थी इस संबंध में इस साक्षी के कथन अभियोजन घटना से मेल नहीं खाते हैं। अतः ऐसे में बीड चोरी होने के संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथन विश्वसनीय नहीं है। जग्गू (अ0सा0- 2) व शहीद खां (अ0सा0-3) के द्वारा दिये गये पुलिस कथन के अनुसार भी यह दोनों ही साक्षी घटना के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हैं, बल्कि इन दोनों ही साक्षियों के पुलिस कथन में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना कारित किया जाना लेख है तथा जानकारी मिलने के आधार पर संदेही के रूप में नहार सिंह लोधी का नाम कथनों में लेख है।

12- अतः फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0-1) के न्यायालीन कथन एवं प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी 1 सहित अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0- 4) के द्वारा कि गई विवेचना एवं विवेचना के दौरान कि गई कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि ग्राम टगारी से नयाखेडा कि पाईप लाइन को अभियुक्त द्वारा चोरी किया गया, इसकी अभियोजन के पास प्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं हैं। अभियुक्त नहार सिंह के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0- 4) के द्वारा प्रकरण में की गई विवेचना संदेह के आधार पर प्रारम्भ की गई। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि संदेह कितना भी प्रबल एवं संभाव्य क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है, चोरी के ऐसे प्रकरणों में जहां घटना का कोई प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं है वहां धारा 27 का मैमोरेण्डम एवं उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर कि गई जप्ती कार्यवाही ही एक मात्र आधार किसी व्यक्ति को धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के उपधारणा के तहत चोरी की घटना प्रमाणित करने के लिये हो सकता है। परन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि मैमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही युक्तियुक्त संदेह से परे साबित की जावे।

13- प्रधान आरक्षक रामगोविन्द (अ0सा0- 5) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 21.01.13 को फरियादी ने नयाखेडा से हसारी के बीच की पाईपलाइन चोरी होने के संबंध में प्रदर्श पी 1 का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर उसने अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उसी दिनांक 21.01.13 को लेखबद्ध की थी। वर्तमान प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) जिसके द्वारा सम्पूर्ण गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही की गई हैं का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 21.01.13 को उसे प्रकरण की विवेचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसने उक्त दिनांक को ही घटना स्थल पर फरियादी की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था और साक्षी आलोक सिंह, शहीद खां व जगभान सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर उक्त दिनांक को ही हलनपुर से साक्षियों के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त से पूछताछ कर मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 तैयार किया था तथा इस साक्षी के अनुसार उक्त मैमोरेण्डम में अभियुक्त ने बताया था, कि लोहे के पाईप के टुकड़े उसने चोरी किये हैं, जिसे उसने

जंगल में छुपा कर रखा है। इस साक्षी का कहना है उसने अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान से दो क्विंटल लोहे के पाईप के टुकड़े साक्षियों के समक्ष जप्त किये थे और जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 7 बनाया था।

- 14- अतः रामगोविन्द (अ0सा0-5) व नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के कथनों से एवं प्रकरण में विवेचना के दौरान तैयार किये गये पत्रकों से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.01.13 को ही फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा लेखिये आवेदन प्रदर्श पी 1 थाने पर दिया गया तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होकर सम्पूर्ण विवेचना ही पूर्ण हो गई। यह निश्चित रूप से प्रकरण की विवेचना में किसी प्रकार का संदेह करने का कारण नहीं हो सकता है परन्तु अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेखबद्ध करायी गई रिपोर्ट में एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लेना आश्चर्य का विषय अवश्य है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के संबंध में दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, पहला तो यह कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी को इस तरह के प्रकरणों को सुलझाने में तथा उनकी विवेचना तत्पर्यता से करने में उन्हें महारथ हासिल हैं और दूसरा यह की आवेदन थाने पर प्राप्त होने के पश्चात अनुसंधानकर्ता अधिकारी को उनकी इच्छा के अनुसार विवेचना में हर चीज समय पर उपलब्ध हो गई। परन्तु उपरोक्त दोनों ही स्थितियों पर विचार किये बिना अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा कि गई विवेचना को सूक्ष्मता से देखे जाना जरूरी है।
- 15- प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा साक्षी शहीद खा (अ0सा0-3) व जग्गू (अ0सा0-2) के समक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही करना बताया गया है, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों एवं उसके द्वारा प्रकरण में की गई विवेचना का कोई समर्थन नहीं किया है तथा अपने सामने इन दोनों ही साक्षियों ने नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा कोई कार्यवाही न करना बताया है और न ही नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) को अभियुक्त के संबंध में कोई कथन ही देना बताया है। अतः मैमोरेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी के साक्षी शहीद खा (अ0सा0-3), जग्गू (अ0सा0-2) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण प्रकरण में मैमोरेण्डम जप्ती व गिरफ्तारी के कार्यवाही को साबित करने के लिये एक मात्र नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) की साक्ष्य शेष बचती है, जिस पर विचार किया जाना है। विधि के संबंध में स्पष्ट है कि पंच साक्षियों के द्वारा मैमोरेण्डम जप्ती के की कार्यवाही का समर्थन न करने के आधार पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई मैमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही दूषित नहीं हो जाती है। यदि अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही संदेह रहित है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।
- 16- प्रकरण में प्रदर्श पी 1 के आवेदन में फरियादी द्वारा अभियुक्त का नाम संदेही के तौर पर लेख कराया गया था। जिसके संबंध में आवेदन में ही यह लेख है कि उसे जानकारी मिली थी कि नहार सिंह के द्वारा ही पाईपलाईन तोड़ी गई। नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) का अपने न्यायालीन कथनों की कण्डिका 6 में स्वयं यह कहना है कि फरियादी ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा पाईप चोरी किया जाना बताया था तथा उसने पुनः यह बताया था कि उसे यह जानकारी मिली है कि अभियुक्त ने चोरी की है। मुखबिर द्वारा पुलिस को

दी गई सूचना का अवश्य प्रकटिकरण नहीं हो सकता है, परन्तु फरियादी को जानकारी कैसे मिली तथा किस व्यक्ति द्वारा किस आधार पर फरियादी को जानकारी दी गई जिसके आधार पर फरियादी ने अभियुक्त का नाम प्रदर्श पी 1 के आवेदन में लेख कराया, इसकी जानकारी तक निकालने का प्रयास अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

- 17- अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा की गई विवेचना में एक पहलू यह भी है कि प्रकरण की विवेचना एफआईआर दर्ज होने की दिनांक को ही पूर्ण हो गई तथा सम्पूर्ण विवेचना में उसके द्वारा की गई कार्यवाही के साक्षी नगरपालिका कर्मि जग्गू (अ0सा0-2) व शहीद खां (अ0सा0-3) हैं जिसने के द्वारा नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) के द्वारा की गई कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया। फरियादी ने पुलिस थाना चंदेरी में आकर प्रदर्श पी 1 का आवेदन दिया था तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0-4) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कहना है कि शहीद खां (अ0सा0-3) व जग्गू (अ0सा0-2) उसके साथ ही थाने पर आये थे। शहीद खां (अ0सा0-3) मैदान गली चंदेरी का निवासी है, वहीं जग्गू (अ0सा0-2) ग्राम फतेहाबाद का निवासी है। फरियादी के साथ यदि नगर पालिकाकर्मि होने के कारण जप्ती मैमोरेण्डम व गिरफ्तारी के साक्षी शहीद खां (अ0सा0-3) व जग्गू (अ0सा0-2) थाने पर रिपोर्ट लेख कराने साथ में गये थे, तो इस साक्षियों को उक्त दिनांक को ही अपने साथ विवेचना में लेकर जाने का अनुसंधानकर्ता अधिकारी के पास क्या कारण था। क्या अनुसंधानकर्ता अधिकारी को यह ज्ञात था कि अभियुक्त उसे आसानी से मिल जाएगा और मैमोरेण्डम देकर चोरी गये सामान की जप्ती भी करा देगा ? । और यदि यह मान भी लिया जाये कि ऐसी जानकारी अनुसंधानकर्ता अधिकारी को थी तो चंदेरी से नगर पालिकाकर्मियों को साथ ले जाने की अपेक्षा वह मौके पर ही ग्राम हलनपुर के व्यक्तियों को मैमोरेण्डम व जप्ती का साक्षी बना सकता था। जिसका कोई कारण मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 व जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7 में नहीं है।
- 17- अतः प्रकरण का अनुसंधान एक ही दिन में होना तथा सम्पूर्ण अनुसंधान में चंदेरी के ही साक्षी शहीद खां (अ0सा0-3) व जग्गू (अ0सा0-2) को हलनपुर ले जाकर को जप्ती मैमोरेण्डम का साक्षी बनाया जाना निश्चित रूप से प्रकरण में की गई कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न करता है और यह संदेह और प्रबल जब हो जाता है जब जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी शहीद खां (अ0सा0-3) व जग्गू (अ0सा0-2) अभियोजन का समर्थन नहीं करते तथा प्रकरण की विवेचना एक ही दिन में पूर्ण कर ली गई हो। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा एक ही दिन में विवेचना से उक्त कार्यवाही पर संदेह करने का एक सुदृढ आधार फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन भी हैं। फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0-1) ने निश्चित रूप से अपने प्रदर्श पी 1 के आवेदन में यह लेख नहीं किया है कि अभियुक्त के बारे में उसे जानकारी कहा से मिली थी, परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये यह व्यक्त किया है कि उसे हलनपुर के रास्तों में झाडियों में ढेर छुपा हुआ मिला था तथा उसे पाईप लाइन फुटने एवं हलनपुर के पास झाडियों में पाईप के छुपे होने की जानकारी हलनपुर के रामसिंह ने ही दी थी। फरियादी का यह भी कहना है कि उसने घटना दिनांक को ही एक आदमी को पकड़ा

था और उसे थाने भी भिजवाया था।

- 18— अतः फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0—1) के कथनों से स्पष्ट है कि पाईप चोरी होने के बाद थाने पर रिपोर्ट करने से पूर्व ही उसे गांव के रामसिंह नाम के व्यक्ति ने यह जानकारी थी कि चोरी हुये पाईप कहा पर हैं तथा स्वयं उसने हलनपुर के रास्ते में झाड़ियों में उक्त पाईप छुपे हुये देखे थे जिसकी सूचना उसने पुलिस को थाने पर फोन पर दी थी तथा एक आदमी को पकडकर थाने पर भी भिजवाया था। अतः फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0—1) के उपरोक्त कथनों से नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा प्रकरण में एक दिन में ही विवेचना कैसे पूर्ण की गई इसका कारण स्पष्ट हो जाता है, जो कि प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को संदेह के घेरे में लाने के लिये पर्याप्त हैं।
- 19— अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) के द्वारा लिये गये मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 में इस बात का उल्लेख है कि अभियुक्त ने चोरी की घटना स्वीकार कि है कि जो कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। मैमोरेण्डम के अनुसार अभियुक्त ने यह बताया है कि उसने पाईप जंगल में पेड के नीचे पत्तों में छुपा कर रख दिये हैं। अभियुक्त ने किस जंगल में किस पेड के नीचे चोरी का माल छुपाया तथा किस में माल रखकर छुपाया यह कही भी मैमोरेण्डम में स्पष्ट नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7 में जप्ती का स्थान हलनपुर के जंगल में पेड के नीचे पत्तों में छुपे होना बताया है परन्तु जप्ती पत्रक में भी स्पष्ट रूप से यह दर्शित नहीं किया गया है कि हलनपुर में जंगल में किस स्थान से किस पेड के नीचे चोरी का माल बरामद किया गया। नरेंद्र सिंह (अ0सा0—4) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह कहता है कि हलनपुर का जंगल हर तरफ से 10 किलोमीटर फैला हुआ है। इस 10 किलोमीटर के द्व क्षेत्रफल में जप्ती का स्थान स्पष्ट नहीं किया गया। नरेंद्र सिंह अपने न्यायालीन कथनों में यह तो कहता है पाईप के टुकडे चार से पांच बोरी में लेकर आये थे। जो कि लगभग दो क्विंटल थे। जप्ती पत्रक में इस बात का कही भी उल्लेख नहीं है कि प्लास्टिक के कट्टों में लोहे की बीड छुपाकर रखी थी यह भी एक विचारणीय बिन्दु है कि दो क्विंटल बीड पत्तों में छुपाकर कैसे रखी जा सकती है।
- 20— अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा लिये गये मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 में यह स्पष्ट नहीं है कि किस जंगल में लोहे की बीड छुपाकर रखी थी अनुसंधानकर्ता अधिकारी हलनपुर के जंगल में चोरी गई लोहे की बीड जप्त करना बताता है, परन्तु इतने बड़े जंगल में जो कि 10 किलोमीटर फैला है, उस स्थान या पेड का उल्लेख नहीं किया। जहां से माल बरामद करना वह बता रहा है। मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 समय 05:30 बजे शासकीय प्राथमिक विद्यालय हलनपुर में लेख किया गया है। नरेंद्र सिंह (अ0सा0 4) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में कहना है कि जप्ती का स्थान ग्राम टगारी से नौ किलोमीटर होगा, जहां उसने पैदल जाकर जप्ती की थी और उसे आधे घण्टे का समय लगा था। आधे के घण्टे के समय पैदल 9 किलो मीटर दूर जाकर जप्ती की कार्यवाही किया जाना भी विश्वसनीय नहीं है।
- 21— फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0 1) रिपोर्ट करने से पहले ही हलनपुर के रास्ते में चोरी

गई लोहे की बीड को देखना बताता है तथा इसकी सूचना रामसिंह के द्वारा दिया जाना बताता है, जिससे स्पष्ट है कि जिस जगह पर लोहे की बीड वास्तव में बरामद हुई, उस स्थान पर कोई व्यक्ति आसानी से पहुँच सकता था तथा उक्त बीड की जानकारी फरियादी के अलावा अन्य व्यक्ति को भी थी अतः जिस स्थान से यदि बीड जप्त भी कि गई तो वह अभियुक्त के एंकाकी जानकारी या आधिपत्य में नहीं कही जा सकती है यदि मैमोरेण्डम से पहले ही चोरी गई बीड बरामद हो गई थी तो प्रदर्श पी 6 की मैमोरेण्डम कार्यवाही एवं उसके आधार पर की गई जप्ती कार्यवाही वैसे ही दूषित हो जाती है।

- 22— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के पास पानी के पाईप की चोरी अभियुक्त द्वारा की गई इसका कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है तथा संदेह के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अतः जहां चोरी की प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं ऐसे प्रकरणों में संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में अभियुक्त का धारा 27 का मैमोरेण्डम एवं उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर की गई जप्ती महत्वपूर्ण होती है जिसे संदेह रहित होना चाहिए। जिस स्थान पर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0 4) के द्वारा बीड की जप्ती बताई गई है, उक्त स्थान ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ0सा0 4) स्पष्ट नहीं कर सका। मैमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 में भी मात्र जंगल में पेड़ के नीचे पत्तों में माल की छुपा होना लेख है, परन्तु दो क्विंटल माल पत्तों में छुपा कर पेड़ के नीचे रखा जा सकता है, यह अपने आप में विश्वसनीय नहीं है, जबकि अनुसंधानकर्ता अधिकारी स्वयं के द्वारा चार से पांच प्लास्टिक बोरी में लेकर आये थे।
- 23— प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा सभी कार्यवाही आधे आधे घण्टे के अंतराल से की गई जिसमें गांव का एक भी साक्षी नहीं है तथा नगर पालिका कर्मियों को ही साक्षी बनाया गया है। नगरपालिका कर्मि जो कि चंदेरी एवं फतेहाबाद के निवासी है, के थाने पर उपस्थित होने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध होने पर वह उसी दिनांक को मात्र तीन-चार घण्टे के अंतराल पर हलनपुर में मैमोरेण्डम व जप्ती के समय भी उपस्थित थे। जो यह दर्शित करता है कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी को थाने पर रवाना होने पर ही यह जानकारी थी, कि उसे मौके पर अभियुक्त मिल जाएगा और वह मैमोरेण्डम भी देगा और उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर चोरी गई पाईप की जप्ती भी करा देगा।
- 24— एक ही दिन में यह सभी कार्यवाही का होना और साक्षियों का पूर्व नियोजित तरीके से हर कार्यवाही में अनुसंधानकर्ता अधिकारी का साथ में होना फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0 1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों को और विश्वसनीय बनाता है कि थाने पर चोरी की सूचना दिये जाने से पूर्व ही चोरी गया, माल फरियादी आलोक सिंह (अ0सा0 1) को मिल गया था और यदि पहले ही माल बरामद हो गया था और उक्त माल हलनपुर के रास्तों में झाड़ियों में देख लिया था तथा उसकी सूचना उसे रामसिंह नामक व्यक्ति ने दी थी। तो ऐसे माल का धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर जप्ती किये जाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि धारा-27 के तहत दिये गये मैमोरेण्डम का महत्व तभी है जब उक्त मैमोरेण्डम के आधार पर ऐसे स्थान से माल

बरामद हो जो कि अभियुक्त के एंकाकी जानकारी एवं आधिपत्य में हो।

- 25— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है अभियुक्त द्वारा प्रदर्श पी 6 के मैमोरेण्डम नरेंद्र सिंह (अ०सा० 4) को दिया गया था और न ही यह प्रमाणित होता है कि मैमो रेण्डम के आधार पर ही प्रकरण में चोरी गये पाईप के टुकड़ों की जप्ती की गई थी अतः वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 114 (ए) साक्ष्य अधिनियम के तहत उपधारणा लिये जाने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेंद्र सिंह (अ०सा० 4) के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित होगा। अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे है साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक—20.01.2013 को हलनपुर स्टाम्प बस स्टेण्ड के पास रोड किनारे नगर पालिका द्वारा बिछाये गये पानी के पाईप उनकी बिना सहमति के चोरी कर ले जाकर चोरी की थी।
- 26— फलस्वरूप अभियुक्त नहार सिंह पुत्र रतन सिंह लोधी के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा—379 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त नहार सिंह पुत्र रतन सिंह लोधी को भा०दं०वि० की धारा—379 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 27— अभियुक्त नहार सिंह पुत्र रतन सिंह लोधी के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त का धारा—428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् नगरपालिका चंदेरी को प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)